न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/5676/2001/हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुामनगढ़

...अपीलान्ट

बनाम

सार्दुलसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी मालासर तहसील रावतसर जिला हनुमागनढ़

...रेस्पोन्डेन्ट्

एकल पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः—
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप. राज. अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ।
श्री मनिष पाण्डिया, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से।

————

दिनांकः 29—1—2021

निर्णय

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 20—12—2000 जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपील संख्या 33/2000 में पारित किया गया।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पोन्डेन्ट के पिता स्वर्गीय नाथूसिंह के विरूद्ध राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के तहत उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में प्रारम्भ की गई। रेस्पोन्डेन्ट के धारण में 411 बीघा बारानी भूमि थी जिसमें से 75 बीघा भूमि रेस्पोन्डेन्ट के पिता नाथूसिंह द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 24—5—1969 को बेच दी गई तथा उक्त बयनामा दिनांक 26—9—1970 से पूर्व का होने के कारण बेचान को मान लिया गया व रेस्पोन्डेन्ट के धारण में कुल भूमि में से 75 बीघा भूमि कम कर तथा ग्राम मालासर की सेमी डेजर्ट जोन ग्रुप—4 के आधार पर एक यूनिट मे 129 एकड़ यानि 206 बीघा भूमि का आधार लेते हुए रेस्पोन्डेन्ट को 2 यूनिट भूमि रखने का पात्र मानते हुए कार्यवाही ड्रॉप की गई थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा आदेश करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को विधि सम्मत रूप से विवचेन नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट को 2 यूनिट भूमि रखने का अधिकारी माना है जबकि प्राथमिक इकाई स्वर्गीय नाथूसिंह की व अतिरिक्त इकाई स्वयं रेस्पोन्डेन्ट सार्दुलसिंह की मानी है व रेस्पोन्डेन्ट को नाथूसिंह का खोलायत पुत्र माना है जबकि अधीनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि सार्दुलसिंह, नाथूसिंह का खोलायत पुत्र है तथा बयनामा की वैधता की भी कोई जांच उपखण्ड अधिकारी के नहीं की जबकि बयनामा केवल सीलिंग से बचने के लिए करवाया गया था। रेस्पोन्डेन्ट के धारण की भूमि को न्यू सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 4(1) के अन्तर्गत सब क्लॉज ''जी'' में सी डेजर्ट जोन ग्रुप में मानते हुए इकाई में 129 एकड़ भूमि रखने का पात्र माना है परन्तु धारा 4(1) ''जी'' के प्रावधानों के अनुसार सेमी डेजर्ट जोन में केवल 125 एकड़ भूमि एक इकाई तक रखी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–9–1980 में केवल एक यूनिट भूमि रखने का पात्र माना था व रेस्पोन्डेन्ट को नाथूसिंह का खोलायत पुत्र नहीं मना उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करने पर राजस्व मण्डल ने उक्त निर्णय को निरस्त कर मामला रिमाण्ड किया था व जांच के आदेश दिये गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय के आदेशानुसार कोई जांच नहीं की व अधीनस्थ न्यायालय में पुनः एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 27–9–1999 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–12–2000 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमनें पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– विद्वान उप. राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में प्रकरण राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06–11–1984 से अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि वे नाथूसिंह के उत्तराधिकारी की जांच कर विधिवत निर्णय करें। राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई जांच नहीं की गई कि रेस्पोन्डेन्ट सार्दुलसिंह को कब व किस तारीख को व किस प्रकार नाथूसिंह के द्वारा गोद लिया गया। इस प्रकार बिना जांच किये ही रेस्पोन्डेन्ट को नाथूसिंह का दत्तक पुत्र मानकर निर्णय प्रदान करने में भारी भूल की है। उनका यह भी कथन है रेस्पोन्डेन्ट द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे साबित होता हो कि वह नाथूसिंह का गोद पुत्र है। उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि भूमिधारी नाथूसिंह के द्वारा 75 बीघा भूमि का बेचान किया था उक्त बयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है तथा हस्तलिखित प्रतिलिपि को ही सही मान लिया गया है जबकि यह बेचान मात्र सीलिंग से बचने हेतु किया गया है। यह भी जांच नहीं की गई कि सद्भावी है या नहीं। क्रेता भूमिहीन है या नहीं एवं राजस्थान का मूल निवासी है या नहीं। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट के धारण की भूमि को नये सीलिंग

अधिनियम 1973 की धारा 4(1) के अन्तर्गत सब क्लॉज ''जी'' के अनुसार सेमी डेजर्ट जोन ग्रुप में मानते हुए एक यूनिट में 129 एकड़ भूमि रखने के पात्र माना है, जबकि उक्त प्रावधानों के केवल 125 एकड़ भूमि एक इकाई में रखी जा सकती है। उनका यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जावे।

5— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने प्रत्युत्तर में कथन किया कि प्रकरण में निर्णय नये सीलिंग अधिनियम 1973 में लागू होने के पश्चात निर्णय दिनांक 18—6—1985 को पारित किया गया है जिसमें रेस्पोन्डेन्ट को 2 यूनिट भूमि धारण करने का पात्र माना है। रेस्पोन्डेन्ट के पास कुल 411 बीघा भूमि है जिसमें से 75 बीघा भूमि का बेचान 26—9—1970 से पूर्व ही किया जा चुका था जो सीलिंग अधिनियम लागू होने से पूर्व का बेचान होने से इसके सम्बन्ध में जांच की आवश्यकता नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि ग्राम मालासर सेमी डेजर्ट ग्रुप 4 में है जिसके अनुसार एक इकाई में 129 एकड़ भूमि रख सकते है। रेस्पोन्डेन्ट के पास कुल 336 बीघा भूमि ही है। रेस्पोंन्डेन्ट सार्दुलसिंह को नाथूसिंह द्वारा गांव मोजीज व्यक्तियों के सामने गोद लिया गया था। घोषणा पत्र में भी रेस्पोन्डेन्ट सार्दुलसिंह का नाम दर्ज है। नाथूसिंह स्वयं ने यह माना है कि सार्दुलसिंह उसके पास खोलायत पुत्र की तरह रह रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5— हमनें पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में सार्दुलसिंह के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में जांच हेतु राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06—11—1984 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर को प्रतिप्रेषित किया गया था। उपखण्ड अधिकारी ने सार्दुलसिंह को नाथूसिंह का दत्तक पुत्र माने जाने के सम्बन्ध में कोई भी नया साक्ष्य नहीं लिया, न हीं सार्दुलसिंह ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किये। वल्दियत से संबंधी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, मतदाता सूची, बैंक खाता प्रस्तुत करने का दायित्व सार्दुलसिंह का था जिसमें वे विफल रहे। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी सरसरी तौर पर विवेचन कर गोद पुत्र नहीं होने का प्रमाण देने हेतु राज्य सरकार पक्ष को उत्तरादायी मान कर स्पष्ट कानूनी भूल की है जबकि गोद पुत्र होने संबंधी प्रमाण सार्दुलसिंह के द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे। इसी प्रकार 75 बीघा भूमि के विक्रय सम्बंधी दस्तावेज के प्रथम निर्णय दिनांक 20—9—1980 में स्पष्ट विवेचन है कि बयनामें की अप्रमाणित हस्तलिखित प्रतिलिपि के आधार पर बेचान को नहीं माना जा सकता है तथा यह विषय राजस्व मण्डल ने प्रकरण

प्रतिप्रेषित करते समय विवादित भी नहीं माना फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18–6–1985 में इस संदेहास्पद बेचान को सही मानकर सम्पूर्ण अधिग्रहण योग्य भूमि को अधिग्रहण मुक्त किया जाने का निर्णय नितान्त अविवेचित एवं विधि विरूद्ध है। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर ने भी उपखण्ड अधिकारी के निर्णय का परीक्षण विधि सम्मत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में न कर विधिक भूल की है। उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 20–12–2000 व 27–7–1999 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सीलिंग प्रकरण में एक इकाई मानते हुए तथा घोषणाकर्ता द्वारा सीलिंग से बचने हेतु अप्रमाणित बयनामें के आधार पर दिखाये गये 75 बीघा भूमि को अमान्य करते हुए नये सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य भूमि की गणना कर अधिग्रहण योग्य भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही करे।

निर्णय सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य